



1364

महानगर लखनऊ-226006

फोन : 0522-2337452

फैक्स नं०: 0522-2337453

सीयूजी : 9454400167

Email:sec1pachq.lu@up.gov.in

पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश

पत्रांक:पीएसी-1-152(2)2025(2)/~~86~~
दिनांक: फरवरी 12, 2026

आदेश

पुलिस महानिरीक्षक, "स्थापना" उ०प्र० के पत्र संख्या: दस-329/2025(अधियाचन-1015)/109 दिनांक: 17.11.2025 द्वारा प्राप्त उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-तीन-5(01)/2025 दिनांक 10.11.2025 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2025 की रिक्ति के सापेक्ष कुल 990 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह जनवरी 2026 की 23 रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी०आर० को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	1782	060470603	नजर मोहम्मद	वशीर अहमद	08 वीं वाहिनी बरेली	2025
2	1783	060481737	महेश कुमार	स्व० श्री मंगल	श्रावस्ती	2025
3	1784	060470919	मो० शहजाद	मो० आफाक	08 वीं वाहिनी बरेली	2025
4	1785	060452766	श्याम नारायण सरोज	वंश राज सरोज	04वीं वाहिनी प्रयागराज	2025
5	1786	060501312	संतोष कुमार गौड	श्री रामपृक्ष गौड	सीतापुर	2025
6	1788	060470342	सुनील कुमार	भगवन्त सिंह	शाहजहाँपुर	2025
7	1789	060460455	सचिन कुमार	श्री शोकेन्द्र कुमार	कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर	2025
8	1790	060490562	सुरेन्द्र कुमार यादव	वीरवल यादव	बस्ती	2025
9	1791	060502067	जयवीर सिंह पाल	श्री रामदास पाल	कमिश्नरेट कानपुर नगर	2025
10	1792	060560621	संजीव कुमार	श्री अमरनाथ	12वीं वाहिनी फतेहपुर	2025
11	1795	060481157	जितेन्द्र सिरोही	श्री विक्रम सिंह	गु०नगर	2025
12	1798	061861855	राकेश कुमार यादव	सुवेदार यादव	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
13	1799	060470876	नाजिर उरमानी	जाफर अली	शाहजहाँपुर	2025

14	1800	060582182	सुधीर सिंह	स्व0 श्री राम प्रवेश सिंह	बहराइच	2025
15	1801	060520555	सतेन्द्र कुमार गौतम	कोमल प्रसाद गौतम	फिरोजाबाद	2025
16	1802	061750409	कमलेश कुमार	श्री कल्लूराम	कमिश्नरेट कानपुर नगर	2025
17	1804	060570042	देवेन्द्र कुमार दूबे	श्री रमायण दूबे	26वीं वाहिनी गोरखपुर	2025
18	1805	060582313	राकेश सिंह	श्री राज रोशन सिंह	महराजगंज	2025
19	1806	060570257	अरविन्द कुमार	श्री बिहारी राम	26वीं वाहिनी गोरखपुर	2025
20	1808	060580955	श्याम बदन गुप्ता	श्री राम हरख गुप्ता	संतकबीरनगर	2025
21	1809	060440929	पदमाकर मिश्रा	श्री शारदा प्रसाद मिश्रा	पीटीएस सुलतानपुर	2025
22	1810	061862193	धर्मेन्द्र कुमार	श्री विन्ध्याचल राम	20वीं वाहिनी आजमगढ़	2025
23	1811	060490878	अशोक कुमार	श्री फौजदार	अयोध्या	2025

2- उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई/कमिश्नरेट में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक:28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा।



6- यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। पदोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षियों को रिक्ति के सापेक्ष समायोजित/स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

संलग्नक:घोषणा-पत्र

(डा० प्रीतिन्दर सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ०प्र० लखनऊ।
- 5- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश।
- 7- सेनानायक, ०४वीं/०८वीं/१२वीं/२०वीं/२६वीं वाहिनी पीएसी उ०प्र०।
- 8- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद श्रावस्ती/सीतापुर/शाहजहाँपुर/
बस्ती/मुजफ्फरनगर/बहराइच/फिरोजाबाद/महराजगंज/संतकबीर नगर/
अयोध्या।
- 9- पुलिस अधीक्षक, पी०टी०एस० सुल्तानपुर।